08/020

RURAL INDEBTEDNESS

भारतीय कृषक लगभग-लगभग पैदा ऋण लेता रहता है, परन्तु वह अपना ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि या तो उस पर ऋण-भार की अधिकता होती है तथा उसकी कृषि-उपज इतनी कम होती है कि वह ऋण से मुक्ति पाने में असमर्थ रहता है। फलतः कृषक पर ऋण-भार निरन्तर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि "भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही मर जाता है।" लघु और सीमान्त कृषकों के साथ-साथ ग्रामीण समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की स्थिति भी ऐसी ही है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण:

निम्न तथ्यों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उनके प्रभावस्वरूप ग्रामीण जनता पर ऋण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है:-

1. भूमि पर जनसंख्या का दबाव:- जैसे-जैसे भूमि से जीविका प्राप्त करने वाली की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे प्रति किसान की आमदनी आर्थिक स्तर से नीचे जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि की उपज उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जितना भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है।

2. जोतों का अत्यधिक विभाजन और खण्डीकरण:

Scanned with CamScanner

जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही जोतों का विभाजन और खण्डीकरण अत्यधिक होने लगा है। इसके परिणामस्वरूप जोतों का आकार इतना छोटा हो गया है कि उन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल व्यर्थ है।

3. सम्बन्धित व्यवसायों का अभाव :- भारत के किसानों को जब खेती के कामों से अवकाश मिलता है तो उसके पास कोई काम ऐसा नहीं रहता जिसको वे खाली समय में करते हुए धन अतिरिक्त अर्जित करते रहें। इसका मूल कारण यह है कि ग्राम उद्योग जो पहले भली प्रकार से चल रहे थे, अब उनकी स्थिति बिगड़ गई है।

4. किसानों का अस्वास्थ्यकर स्वास्थ्य :- भारत के गांवों में जब कोई रोग फैलने लगता है तो उसकी रोक-थाम बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि चिकित्सा का वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। प्राचीन औषधियों से लोगों का विश्वास उठ गया है। नई औषधियां और नये चिकित्सक पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाते, इस कारण इन सभी बातों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि किसान निर्बल और दुर्बल हो जाते हैं। उतना परिश्रम नहीं कर पाते जितने परिश्रम की आवश्यकता है।

5. फसलों की अनिश्चित उपज :- वर्षा की मात्रा और उसका समय इतना अनिश्चित है कि कोई भी किसान यह नहीं कह सकता

की उसकी भूमि से उसको फसल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है क्योंकि कभी भी सूखा पड़ सकता है अथवा बाढ़ आ सकती है।

6. पुराने ढंग के औजार :- भारतीय किसानों के पास जो खेती सम्बन्धी औजार हैं वे अधिकतर पुराने ढंग के हैं। अतः वह सफलता पूर्वक कृषि कार्य नहीं कर पाता है।

7. मुकदमा लड़ने का शौक :- जब से संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का पतन आरम्भ हुआ है और गाँवों में व्यक्तिगत भावनाओं का प्रचलन हो गया है तब से भाई-भाई तक में मुकदमें-बाजी आरम्भ हो गई है।

8. किसान की अदूरदर्शिता और अपव्ययिता :- एक तरह से देखा जाये तो भारतीय किसान बहुत मितव्ययी होता है और बहुत देख-भाल कर व्यय करता है।

9. किसान की साख में वृद्धि :- देश में अंग्रेजी शासन की समाप्ति के बाद शान्ति स्थापित हो गई है और व्यापार उन्नति करने लगा। उन्होंने छोटे-छोटे कार्यों के लिए ऋण लेना आरम्भ कर दिया।

10. ब्याज की ऊँची दर :- प्राचीन काल से

ही गाँव का महाजन भारतीय कृषकों की रुपए सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करवा रहा है। जिसके ऋण के बोझ से दबते जाते हैं। कभी कभी तो वे जीवन भर कमाने के बाद भी ऋण तो क्या ब्याज भी नहीं चुका पाता था।

11. सरकार की भूमि कर नीति :- अनेक विद्वानों तथा अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि सरकार की लगान प्राप्त करने की रीति अत्यधिक कड़ी थी, जिससे किसान को बाध्य होकर महाजन की शरण में जाना पड़ता था। यदि किसान से उसकी उपज में से अनाज के रूप में लगान किया जाता है तो वह असानी से दे सकता है परन्तु नकद पैसे के रूप में मालगुजारी वसूल किये जाने के कारण उसे बहुत असुविधा होती थी।

ऋणग्रस्तता के परिणाम :—

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य परिणाम निम्न है :—

(1) भूमि से वंचित होना :— कृषक के लिए भूमि ही सब कुछ है। ऋणग्रस्तता के कारण कृषकों की भूमि महाजनों एवं धनी व्यक्तियों के पास चली जाती है।

Scanned with CamScanner

2. निम्न जीवन-स्तर :→
ऋणग्रस्तता के कारण जीवन-स्तर निम्न हो जाता है। ऋणी ब्याज के ही बोझ से दबा रहता है और उसकी आय का अधिकांश भाग ब्याज देने में चला जाता है।

3 कृषि विकास में बाधा :→
ऋणग्रस्त किसान ऋणी होने के कारण कृषि के विकास के लिए यंत्र, मशीनें, अच्छे एवं उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक एवं खाद आदि नहीं खरीद पाता है।

4 कृषि उत्पादन के विक्रय में बाधा :→
भारतीय किसान जो कुछ उत्पादन करता है उसे उचित दामों पर विक्रय नहीं कर पाता है क्योंकि ब्याज देने या ऋण का कुछ भाग चुकाने की उसे जल्दी होती है।

5 भूमिहीन वर्ग की वृद्धि :→
ऋणग्रस्तता के कारण भूमि बिक जाने से भूमिहीन वर्ग की वृद्धि होती जा रही है।

6 अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन :→
ऋणग्रस्तता अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन देती है।

Scanned with CamScanner

इससे झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी तथा अन्य बुराइयाँ पैदा होती हैं।

ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपाय

ऋणग्रस्तता दूर करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं: →

1. ऋण देने वाली संस्थाओं की स्थापना: → ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए सरल संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि ग्रामीण जनता को कम ब्याज पर ऋण मिले और वे महाजनों व आढ़तियों के चंगुल से अपने को बचा सके।

2. तकावी ऋणों की उचित व्यवस्था: → देश में तकावी ऋण दिये जाते हैं परन्तु उनके देने की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए जिससे किसान को समय पर ऋण प्राप्त हो सके।

3. पुराने ऋणों का निपटारा: → पुराने ऋणों का निपटारा किसी-न-किसी प्रकार किया जाना चाहिए। जिन किसानों के पास जमीन जायदाद नहीं है, उन्हें दिवालिया घोषित करके उनके ऋण समाप्त कर देना

Scanned with CamScanner

चाहिए ।

4 महाजनों पर नियन्त्रण :→ महाजनों पर इस प्रकार का नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए जिससे कि वे शोषण न कर सके ।

5 अनुत्पादक ऋण लेने पर प्रतिबन्ध :→ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि कृषक अनुत्पादन ऋण अधिक न ले पाये ।

ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने मे सरकारी प्रयत्न :- ऋणग्रस्तता की समस्या सुलझाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए है, जिनमे निम्न प्रमुख है :→

1 भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध :→ सरकार ने ऐसे कानून बनाए है जिसके कारण ऋणदाता सरलता से ऋणी किसानो की भूमि को अपने नाम हस्तान्तरित नही कर सकते ।

2 ऋणों को अनिवार्यत: कम करना :→ अनेक राज्यो की सरकारो ने ऐसे कानून पारित किए है जिनके अनुसार कृषको की ऋण की रकम अनिवार्य रूप से कम कर दी जाती है)

3 ऋण समझौता करने की कानून :→
कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे ऋण निश्चित कर दिया जाता है और किस्तों में उसका भुगतान हो जाता है।

4 ब्याज की दर नियमन सम्बन्धी कानून :→
ऐसे कानून भी पारित किए हैं जिससे ब्याज की दर नियमित हो गया।

5 महाजनों या साहूकारों पर नियन्त्रण :→
महाजनों पर कानून द्वारा नियन्त्रण किया गया है, जिससे निम्नलिखित बातों का प्रबन्ध है :—
(i) नाम रजिस्टर करवाना, (ii) लाइसेन्स लेना
(iii) निश्चित प्रकार की विधि से नियमित खातारखना
(iv) जमा रकम की रसीद देना
(v) ऋणियों को समय-समय पर खाता विवरण भेजना
(vi) ब्याज की दर का नियमन, (vii) ऋणियों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण (viii) बन्धक ऋणियों को ऋण मुक्त करना।
इनके अतिरिक्त कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न, रोजगार बढ़ाने का प्रयत्न, सहकारी आन्दोलन, शिक्षा का प्रसार आदि प्रयत्न सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner